सं0- 05/6403/62-2-2014-2/3(32)/2013

सेवा में,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 20 जनवरी,2014

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष अनुदान सं0-13 के अधीन रिग मशीन एवं सहायक उपकरणों का क्रय हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके के पत्र सं0-जी-277/ल0सिं0/बजट-3/2013-14, दिनांक 19-12-2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण् करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन रिग मशीन एवं सहायक उपकरणों का क्रय (राज्य योजना) में प्राविधानित धनराशि रू0-50.00 लाख (रूपया पचास लाख मात्र) के सापेक्ष रू0-25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-4096/62-2-2013-2/3(32)/2013, दिनांक 23-9-2013 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। इस प्रकार अवशेष धनराशि रू0-25.00 लाख महामहिम राज्यपाल आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में जिला सेक्टर की योजनाओं के अधीन रिग मशीन एवं सहायक उपकरणों का क्रय के व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) स्वीक़त की जारही धनराशि मशीनों/सहायक उपकरणों का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर परचेज रूल्स के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति में से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जिसका व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जा सके।

(4) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(5) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। अवमुक्त धनराशि को यथाशीघ्र संबंधित खण्डीय अधिशासी अभियंता को आवंटित करते हुए शासन को भी अवगत कराने का प्रबन्ध करें।

(6) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल पर ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

(7) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत् बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायें जायें।

1-मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2-प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण	15-10-2013 तक
3-व्यायाधिक्य तथा बचट का अंतिम विवरण्	15-12-2013 तक
4-वर्ष 2013-14 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15-02-2014 तक
5-आवंटन का समर्पण	15-03-2014 तक

नोट:- दिनांक 15-03-2014 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नही किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(11) तत्संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन **"लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय -आयोजनागत-102-भूजल-03-रिग मशीन एवं सहायक उपकरणों का क्रय-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र"** के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं0-ई-2-1185/दस-2013, दिनांक 08-01-2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहे है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,
ह0/
(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

सं0-6403(1)/62-2-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग उ0 प्र0 लखनऊ।
4- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
5- संबंधित जिलाधिकारी।
6- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त् जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
7- संबंधित सहायक अभियंता, लघु सिचाई विभाग।
8- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9- नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
12- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
13- एन0आई0सी0 की प्रति।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in